न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट–पृथ्वीपुरा

दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

मु०नं० 2/10 ता० रज्जू 05.02.2018

01– निसार खॉ पुत्र साहुन खॉ जाति मेव उम्र करीब 8 वर्ष निवासी पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा हाल निवासी पट्रोल पम्प के सामने, मुगस्का नाबालिग जरिये सरपरस्त आसीया पत्नी साहुन मेव निवासी पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा हाल निवासी पट्रोल पम्प के सामने, मुगस्का —वादी/प्रार्थी

बनाम

01– सहरून पुत्र स्व० साहब खॉ जाति मेव

02– साहुन पुत्र स्व० साहब खॉ जाति मेव

03– सहजाद पुत्र स्व० साहब खॉ जाति मेव

04– निजरी पत्नी स्व० साहब खॉ जाति मेव निवासीयान पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा

05– सहरूना पुत्री पुत्र स्व० साहब खॉ पत्नी रफीक मेव निवासी सौरखा माजरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

06– साबू खॉ पुत्र महतू खॉ जाति मेव

07– मौहम्मद युनिस खॉ पुत्र दराब खॉ जाति मेव

08– इमरान खॉ पुत्र दराब खॉ जाति मेव

09– नदीम खॉ पुत्र दराब खॉ जाति मेव

10– लक्ष्मीनारायण पुत्र बिहारी जाति नाई

11– साबूदीन पुत्र महतू जाति मेव

12– सुबेदार खॉ पुत्र महतू जाति मेव

13– चन्दर खॉ पुत्र महतू जाति मेव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा

–:निर्णयः– दिनांक 28.05.2018

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में कैम्प कोर्ट पृथ्वीपुरा में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उप०। उभयपक्ष को सुना। वादीनी ने जाहिर किया की वह पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.02.2018 में प्रतिवादी संख्या–2 को उसके हिस्से की आराजी में 1/2 भाग तक पाबन्द कराना चाहती है जिस पर प्रतिवादी संख्या–02 ने अपनी सहमती व्यक्त की।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा में विवादित आराजी खसरा नम्बर 896 रकबा 0.30 है०, 875 रकबा 0.90 है०, 787 रकबा 0.39 है०, 788 रकबा 0.34 है०, 806 रकबा 1.24 है०, 906 रकबा 0.73 है०, 1010 रकबा 1.09 है०, 432 रकबा 0.60 है०, 81 रकबा 0.47 है०, 283 रकबा 0.01 है०, 284 रकबा 1.51 है०, 389 रकबा 1.58 है०, 815 रकबा 0.98 है०, 860 रकबा 0.01 है०, 861 रकबा 0.62 है०, 865 रकबा 1.35 है०, 870 रकबा 0.74 है० स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है। आराजी में साहब खॉ के मरने के बाद उसके वारिसान का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। वादी/प्रार्थी उक्त आराजी में कानूनन अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद बाबत इश्तकरारहक, तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

वाद की बहुलता को रोकने के लिए प्रतिवादी संख्या–2 को उसके हिस्से की आराजी को रहन बय नही करने के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र में दिनांक 05.02.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा करते हुए प्रतिवादी संख्या–2 को पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 896 रकबा 0.30 है०, 875 रकबा 0.90 है०, 787 रकबा 0.39 है०, 788 रकबा 0.34 है०, 806 रकबा 1.24 है०, 906 रकबा 0.73 है०, 1010 रकबा 1.09 है०, 432 रकबा 0.60 है०, 81 रकबा 0.47 है०, 283 रकबा 0.01 है०, 284 रकबा 1.51 है०, 389 रकबा 1.58 है०, 815 रकबा 0.98 है०, 860 रकबा 0.01 है०, 861 रकबा 0.62 है०, 865 रकबा 1.35 है०, 870 रकबा 0.74 है० में अपने हिस्से की आराजी को रहन बय नही करे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

सेवानिवृत तहसीलदार
बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

एडवोकेट
बैंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

(जावेद अली)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)